रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092020-221810 CG-DL-E-18092020-221810

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] No. 462] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली,17 सितंबर, 2020

सं. 90 /2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 568(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, एतदद्वारा, आगम बिल (फॉर्म्स) विनियम, 1976 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा: -1.

- 1. (1) इन विनियमों को आगम बिल (फॉर्म्स) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम 21 सितंबर, 2020 से लागृ होंगे।
- 2. आगम बिल (फॉर्म्स) विनियम, 1976 में, फॉर्म I, फॉर्म II, और फॉर्म III के लिए, निम्नलिखित फॉर्म्स को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

4332 GI/2020 (1)

"फॉर्म-Ⅰ (विनियम 3 देखें)

घरेलू र	उपभोग	के वि	<mark>रे</mark> ए आगग	म बिल				ल	ाइसेंस न	₹.													
पोर्ट को	ड	एस	= सी	पूर्व आग	म मोहर			आयात	विभाग की	ो क्र.सं. एव	त्रं तिथि		क	स्टम्स हाउ	स		आन	यातकर्ता		आयात	तकर्ता का नाम		
		ए= : एल	एयर = लैंड										τ	एजेंट कोड		जीएस	कोड टीआईएन / पीए	ः (आईईसी/ एएन आदि जो	लागु हो)		एवं पता		
जलयान	का नाम	•	आवर्तन स	तं. दिनांक	लाइ	्न सं.				वहन का पोर्ट		उदग म एवं	म देश कोड			Ţ	ोषण का देश भिन्न हो) एवं		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	त्रदान बिल दिनांक			
पैकेट	माल		माः	ग				सीमाशुर	ल्क			अतिरित्त	क्त शुल्क					3	गईजीएसटी				
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	कमर्शियल यूनिट कोड/ स्टैंडर्ड यूनिट कोड़े	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण	सीमाशृल्क टैरिफ का शीर्ष ———— वरीयता परक छूट अधिसूचना/ छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (र)	दर मूल ——— सहायक (रु)	राशि मूल — सहायक (रु)	सीईटी शीर्ष — छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मूल्य (रु)	दर	एसएडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आईजीएसटी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आईजीएसटी राथि (रु)	उपकर की दर पर जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	कुल शुल्ब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24

सकल भार	<u>कुल पैकेटों की संख्या</u> (शब्दों में) शु	ल्क की कुल राशि (शब्दों में)	
	आयात क्लर्क	रुपए	कुल
	(पि	न पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)	

क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) (एफओबी/सी&एफ/सी&आई /सीआईएफ	भाड़ा	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	(घोषणा पर कस्टम ब्रोकर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे) 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं दिनांक के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है।
1											2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि
2 3 4											मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य, मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय
5											मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़
	कुल										प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को
	आईटीसी लाइसेंस या सीसीपी छूट नं. एवं लाइसेंस को डेबिट व्यक्ति का नाम जिसको जारी	किया गर	या मूल्य/सी	सीपी (अधिव	•		गी . डी. खाता सं.	कलेक्श मोहर	न फ्री नं. ए	एवं दिनांक की	देंगे।
											ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम ब्रोकर द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी

लाइसेंस (सों) पंजीकृत	लाइसेंस (सों) 20
		लेखापरीक्षा किया हुआ
		कस्टम ब्रोकर के हस्ताक्षर
		घोषणा
		(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)
कस्टम्स ब्रोकर* सहित	1.	मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैके बीजक सं दिनांक एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।
		या
कस्टम्स ब्रोकर * के बिना		मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं दिनांक के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।
	2.	मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।
	3.	मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।
	4(क)*.	मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया हैं। [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक] या
	4(ख)*	मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

5(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख) * मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

- 6(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया हैं उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया हैं और ना ही किया जाना है ^
- 6(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया हैं उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^ [^ कृपया देखे- सीमाशुल्क मुल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

_		(G)	
	क्रम	<u>ब्योरा</u>	राशि या अभिव्यक्ति,
	संख्या		इकाई मूल्य के प्रतिशत
			के रूप में
		ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन	
		नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	
	ii	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:	
	ij	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:	
	iv	क्रेता द्वारा सप्लाइ किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:	

7(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुन: बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया हैं और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)]

या

7(ख)*	मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुन: बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया हैं और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (इ)]। हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि: (i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है या (ii) हमारे आयात की अभी कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है (iii) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर स्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर स्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की
	गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। या (iv) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तो और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में से बदलाव किया गया है।
8(क)*	मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या दिनांक में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है या
8(ख)*	मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या दिनांक में संदर्भित माल के क्रेता से संबन्धित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से की प्रकृति का है। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि: (i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है <u>या</u> (ii) हमारे आयात की अभी कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर
कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की
गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
या
(iv) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर
देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तो और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में से
बदलाव किया गया है।

9(क)# मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या ____ में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यपार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

[कृपया देखे- सीमाशुल्क व्यापार समझोतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट	
	ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का	
	उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं	
	किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताए कि इस पर सामान्य नियम लागू	
	होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करे, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताए कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताए कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है	
	(आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	
	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश (जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न	
	होगा)	

	(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	
9(ख)#	घोषणा (आयातव	र्का द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)	
,	•	ार कर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या में उल्लिखित माल	त अधिसूचना नंबर दिनांक के माध्यम से
	अधिसूचित (निय	मावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धि	धत सभी अर्हता पूरा करता है। ."
		न्ताक्षर	
	आयातकर्ता का न	пम	
	पदनाम		
	स्टैम्प		
			*जो लागू ना हो उसे काट दे
			# क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

	आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़	में प्राप्ति की तिथि:
	अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए	
1.	बीजक	मूल्यनिरूपक ग्रुप केन्द्रीय विनिमय यूनिट
2.	पैकिंग सूची	ट्रेड रिटर्न आई.ए.डी.
3.	बैंक ड्राफ्ट	सी.आर.ए.डी.एम.सी.डी. की रजिस्टर
4.	बीमा ज्ञापन/पॉलिसी	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
5.	लदान बिल	(केवल प्रतिलिपि पर)
6.	आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट	सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ
7.	उदगम प्रमाण पत्र	
8.		संगत अधिकारी

Ω	

भारत	का	राजपत्र	•	अस	T۶T	र ए

9.	
10.	(वास्तविक पदनाम अंकित करें)

फॉर्म-II


(विनियम 3 देखें)

वेयरहाउसिंग के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं.

पोर्ट को	इ	एस = ए= ए एल =	,यर = लैंड	बॉन्ड क्रम संख्या और दिनांक	आयात	त विभाग की	क्र.सं. ए	वं तिथि			टम्स हाउस एजेंट कोड		आयातक ोड (आई ाईएन / र्प	ईईसी/		आयातकत एवं पता हो)	िका नाम						
जलयान	का नाम		आवर्तन सं	. दिनांक	लाइन		विहन क पोर्ट	ा उदगम देश एवं कोड			ग का देश प्र हो) एवं के	गेड		न बिल देनांक									
पैकेट मा	ाल		मात्रा					सीमाशु	ल्क			अति	रिक्त शुल	क				अ	ाईजीएसटी				
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	कमर्शियल यूनिट कोड/ स्टैंडर्ड यूनिट कोड़े	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्ष वरीयता परक छूट अधिसूचना/ छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (रु)	दर मूल सहायक (रु)	राशि मूल सहायक (रु)	सीईटी शीर्ष —— छूट छुटे अधिसूचना सं. एवं वर्ष	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मूल्य (रु)	दर	एसएडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आईजीएसटी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आईजीएसटी राशि (रु)	उपकर की दर पर जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	कुल शुल्ब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

सकल भार	<u>कुल पैकेटों की संख्या</u> (शब्दों में) श्	<u>ु</u> ल्क की कुल राशि (शब्दों में)	
	आयात क्लर्क	रुपए	कुल
	(पिन पॉइंट टाइपरायट	र के द्वारा)	



आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो को इस तथ्य से अवगत कराऊंगा/ कराएंगे। ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम ब्रोकर द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी

लाइसेन्स रैजिस्टर्ड

लाइसेन्स औडिटेड

वेयरहाउस में माल को जमा

कराने की तारीख

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, बॉन्ड डिपार्टमेंट

निवारक अधिकारी

.....20.... कस्टम ब्रोकर के हस्ताक्षर

घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम्स हाउस* एजेंट सहित 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मै.के बीजक सं.... दिनांक....... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

या

कस्टम्स हाउस* एजेंट के बिना

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

- 2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।
- 3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

4(क)*.	/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या	प्रतिबंध को नर्ह
	गाया गया हैं। [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]	

या

4(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

5(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख) * मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

6(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया हैं उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया हैं और ना ही किया जाना है ^

या

6(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया हैं उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^

[^ कृपया देखे- सीमाश्ल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

क्रम	ब्योरा	राशि या अभिव्यक्ति, इकाई
संख्या		मूल्य के प्रतिशत के रूप में
i	ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन	
	नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	

	ii	कंटेनर का खर्च [नियम	10 (1) (क) (ii)]:					
	iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10	O (1) (क) (iii)]:					
	iv	क्रेता द्वारा सप्लाइ किए	र गए माल और सेवा [ः]	का खर्च [नियम 10 (1 <u>)</u>) (ख)]:			
7(क)*		गा हूँ/करते हैं कि आयाति ोई वास्तविक भुगतान ि			-			-
7(ख)*	के रूप में या तो के । हम और आगे भी (i) हमारे आयात के या (ii) हमारे आयात व (iii) हमारे आयात व गयी जांच के बाद के या	ते इस करार की शर्तों औ त की देखे).	केया गया हैं और किय प्र मूल्यांकन शाखा द्वा कस्टम्स हाउस में एस कस्टम्स हाउस हम आगे और भी घे र दशाओं में तथा इन्य कस्टम्स हाउस	ा जाना है [(कृपया देरें रा कोई जांच नहीं की ग नवीबी द्वारा जांच की ज में विशेष मूल्यांकन ोषणा करते हैं कि ग्राइस के पैटर्न में कोई ब	बे- सीमाशुल्क मूल्यांकन ायी है शाखा द्वारा जांच कस्टम्स ादलाव नहीं किया गया	ा नियमावली, 2007 कर दी गयी है। त हाउस में विशेष मूल है। कर ली गयी है।	के नियम 10 (1 (हमारा एसवी ल्यांकन शाखा द्व (हमारा एसवी) (ग), (घ) & (ड)] बी फ़ाइल नंबर ारा जांच पहले की
8(雨)*	मैं/ हम, मेरा/ हमा संबंध नहीं है या	रा सीमाशुल्क मूल्यांकन	नियमावली, 2007 ^ह	के नियम 2(2) की दृष्टि	से इन्वाइस संख्या	दिनांक	में संदर्भित मा	ल के क्रेता से कोई
8(ख)*		रा इन्वाइस संख्या 2) की दृष्टि से				हैं और हमारा संबंध	सीमाशुल्क मूल्य	ांकन नियमावली,

	(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है
	<u>या</u>
	(ii) हमारे आयात की अभी कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है
	(iii) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर
	कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की
	गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
	या
	(iv) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर
	देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तो और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में से
	बदलाव किया गया है।
9(क)#	मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यपार करार के अंतर्गत शुल्क की
` ,	

वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

[कृपया देखे- सीमाशुल्क व्यापार समझोतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताए कि इस पर सामान्य नियम लागू होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करे, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताए कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताए कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	

	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश (जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	
(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	

9(ख)#	घोषणा (आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)
	"मैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या में उल्लिखित माल अधिसूचना नंबर दिनांक के माध्यम से
	अधिसूचित (नियमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित सभी अर्हता पूरा करता है। ."
	आयातकर्ता के हस्ताक्षर
	आयातकर्ता का नाम
	पदनाम
	स्टैम्प
	*जो लागू ना हो उसे काट दे
	# क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

	आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़	में प्राप्ति की तिथि:
	अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए	
1.	बीजक	मूल्यनिरूपक ग्रुप केन्द्रीय विनिमय यूनिट
2.	पैकिंग सूची	ट्रेड रिटर्न आई.ए.डी.
3.	बैंक ड्राफ्ट	सी.आर.ए.डी.एम.सी.डी. की रजिस्टर
4.	बीमा ज्ञापन/पॉलिसी	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
5.	लदान बिल	(केवल प्रतिलिपि पर)

6.	आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट	सीमाशुल्क के नियंत्रण के अंतर्गत बोंडेड वेयरहाउस में ले जाने के लिए माल सील डिटेल्स (ओटीएल डिटेल्स) को उठाने हेतु अनुमत
7.	उदगम प्रमाण पत्र	
8.		संगत अधिकारी
9.		
10.		(वास्तविक पदनाम अंकित करें)

फॉर्म-III

(विनियम 3 देखें)

एक्स- बॉन्ड क्लियरेंस के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं.

पोर्ट कोड़		एस = सी ए= एयर		बॉन्ड क्रम संख्या और दिनांक		आया	त विभाग व	ते क्र.सं. एवं तिथि -				क्स्टम्स हाउस एजेंट कोड				आयातव कोड (अ			आयातव	र्क्ताकानाम एवंपता			
	Ų	एल = लैंड													जीएसटी	आईएन / पीएए	न आदि जो लागू	हो)					
जलयान क	ा नाम	आवर्तन	ा सं. दिनांक		लाइन	सं.		नौवहन का पोर्ट			ाम देश कोड		प्रेषण का (यदि भि	देश न्न हो) एवं को	ोड	लदान बिल दिनांक	т						
पैकेट माल		मात्रा						सीमाशु	ल्क			अति	रिक्त शुल्व	5					आईजीएसटी				
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	कमर्शियल यूनिट कोड/ स्टेंडर्ड यूनिट कोड़े	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्ष वरीयता परक छूट अधिसूचना/ छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (रु)	दर मूल सहायक (रु)	राशि मूल सहायक (रु)	सीईटी शीर्ष — छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मृल्य (रु)	दर	एसएडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आईजीएसटी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आईजीएसटी राशि (रु)	उपकर की दर पर जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	कुल शुल्ब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

	सकल भार <u>कुल पैकेटों की संख्या</u> (शब् (१०००) (अ		रुपए	-		कुल			
क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) भाड़ा (एफओबी/सी&एफ/सी&आई /सीआईएफ	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	वेयरहाउस का नाम और पता, जिसमे उस वेयरहाउस का कोड़ भी शामिल है जहां माल को जमा किया जाता हो
1										I
2										
3										
4 5										
	कुल									
	वेयरहाउस में जमा की तारीख	पे	~	जेस्टर में दाखि के तहत		ोडी/ अकाउंट	कलेक्श	ान की स्टैम्प	Т	आयातकर्ता/ कस्टम्स ब्रोकर के द्वारा की जाने वाली घोषणा 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि इस आगम बिल में दिये गए ब्योरे सही
		वे	यरहाउस र्आ	धेकारी						है।
										, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	वेयरहाउस अधिकारी को दिखाने की तार्र	াৰ			वेयरहा	उस से माल के	ो निकालने व	ने तारीख		2. मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कस्टम्स बोंडेड हाउस से माल को छुड़ाने के लिए अनुमित हेतु आवेदन करता हूँ/ करते हैं।

घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम्स हाउस* एजेंट सहित 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मै.के बीजक सं.... दिनांक....... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतदृद्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

या

कस्टम्स हाउस* एजेंट के बिना

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

- 2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।
- 3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।
- 4(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया हैं। [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]

या

4(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

5(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत) 5(ख) * मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

- 6(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया हैं उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया हैं और ना ही किया जाना है ^
- 6(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया हैं उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^
 [^ कपया देखे- सीमाशल्क मल्यांकन नियमावली. 2007के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

Ц	दिख- सामासुल्फ मूल्याकन नियमायला, 2007क नियम 10 (1) (क) आर (ख)]								
	क्रम	ब्योरा	राशि या अभिव्यक्ति,						
	संख्या		इकाई मूल्य के प्रतिशत						
			के रूप में						
		ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन							
		नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:							
	=:	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:							
	iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:							
	iv	क्रेता द्वारा सप्लाइ किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:							

7(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुन: बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया हैं और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)]

गा

- 7(ख)* मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबिन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुन: बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया हैं और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (इ)]। हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि:
 - (i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

	<u>या</u> (ii) हमारे आयात की अभी कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है
	(iii) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की
	गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। —
	या (iv) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तो और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में से बदलाव किया गया है।
8(क)*	मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या दिनांक में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है या
8(ख)*	मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या दिनांक में संदर्भित माल के क्रेता से संबन्धित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से की प्रकृति का है। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि: (i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है
	<u>या</u> (ii) हमारे आयात की अभी कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है
	(iii) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
	या
	(iv) हमारे आयात की कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में से बदलाव किया गया है।
9(क)#	मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यपार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

विवरण

[कृपया देखे- सीमाशुल्क व्यापार समझोतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

ब्योरा

क्रम. संख्या

			*जो लागू ना हो उसे काट दे # क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है
	स्टैम्प		***
	पदनाम		
	आयातकर्ता का	नाम	
	• • •	इस्ताक्षर	
9(ख)#	"मैं, अधो हस्ता	कर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है) क्षर कर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या में उल्लिखित माल यमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	
		यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश (जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	
	(v)	कृपया बताए कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	
	(iv)	कृपया बताए कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
		उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करे, यदि लागू हो है	
		होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
		यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताए कि इस पर सामान्य नियम लागू	
	(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
		उल्लेख होना चाहिए)	
		ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का	
	(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट	
	(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

	आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़	में प्राप्ति की तिथि:
	अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए	
1.	बीजक	बॉन्ड डिपार्टमेंट
2.	पैकिंग सूची	अपराइजिंग ग्रुप
3.	बीमा ज्ञापन/पॉलिसी	वेयरहाउस अधिकारी सेंट्रल एक्स्चेंज यूनिट
4.	उदगम प्रमाण पत्र	रेविन्यू पोस्टिंग
5.		स्टेशन
		दिनांक20
		आयातकर्ता के हस्ताक्षर
		कस्टम ब्रोकर
6.		सी.आर.ए.डी (केवल प्रतिलिपि पर)
7.		एम.सी.डी. की रजिस्टर सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ
		एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
		संगत अधिकारी
		(वास्तविक पदनाम इंगित करें)

[फा. स. 450/108/2017- सीमाशुल्क IV] आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान नियमावली को अधिसूचना संख्या 396- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 03/88- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 जनवरी, 1998, जिसे सा.का.िन 30 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, दिनांक 31 मार्च, 2017, के तहत प्रकाशित, के द्वारा इसका अधिक्रमण कर दिया गया था, और फिर उसके पश्चात अधिसूचना संख्या 77/89- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 27 दिसम्बर, 1988, जिसे सा.का.िन 1067 (अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 के द्वारा बहाल कर दिया गया था और इसमे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 65/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.िन 810 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2020

No. 90/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 568(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 46 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), the Board, hereby makes the following regulations further to amend the Bill of Entry(Forms) Regulations, 1976, namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Bill of Entry (Forms) (Amendment) Regulations, 2020.
 - (2) They shall come into force with effect from the 21st September, 2020.
- 2. In the Bill of Entry (Forms) Regulations, 1976, for Form I, Form II and Form III, the following Forms shall be substituted, namely:-

"FORM-I

(See regulation 3)

Bill of Entry For Home Consumption

Licence No.

Port Cod	le	S	= Sea	Prior	Entry Sta	mp	Impo	rt Dept.	S. No. a	nd Date	Custon	ns Broke	er		Importe	er			Import	ter's Name			
		A:	= Air							Code				(Code(II	EC/			and A	ddress			
		L	= Land												STIN/	PAN e	tc						
														a	as appli	cable)							
Vessel's	Name		Rotation	No. Dat	te	Lin	ie	Port of	Cou	intry of O	rigin Co	untry of	Cons	signme	nt	Bill of	Ladin	ıg					
						Num	ber	Shipm	ent	and Cod	e	(if diffe	rent) a	and Co	de	Date							
PACK	AGE		QUANTI	TY	G	OODS		CUS	STOMS			ADDI	ΓΙΟN.	AL						IGST			
								D	UTY			DI	JTY										
No. and	Marks	Seri	Commer	Weig	Descript	Customs	Natu	Assessa	RATE	AMOU	C.E.T.Hea	Value	Rate	SA	Total	GST	IGST	Exempti	IGST	GST	Exemption	GST	TOTAL
Descrip	and	al	cial Unit	l l	ion	Tariff	re of	ble		NT	ding	under		D	Additi	Code	Rate	on	amou	Compens	Notificatio	Compens	DUTY
tion.	Numb	No.	Code	Volu		heading	duty		Basic	Basic		Sectio			onal			Notifica	nt	ation Cess		ation	
	ers.			me/			code	under			Exemptio	n 3			Duty			tion for	(Rs.)	Rate	claiming	Cess	
				Numb	R.I.T.			Section	-	Auxiliar	n	Custo						claiming			exemption	Amount	
				er etc.		Preferen		14	Auxili	y (Rs.)		ms						exempti			from GST		
			Unit			tial			ary		n No. and	Tariff						on from			Compens		
			Code			Exempti		s Act,	(Rs.)		year	Act,						IGST			ation		
						on N		1962				1975									Cess		
						Notifica		(Rs.)				(Rs.)											
						tion No. and																	

						year*# Exempti on Notifica																	
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)		tion No. and year*	(0)	(0)	(10)	(11)	(12)	(12)	(1.4)	(15)	(16)	(17)	(10)	(10)	(20)	(21)	(22)	(22)	(24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

		-		OF PACKAGES				TOTAL AM	IOUNT OF DUTY (IN WORDS) TOTAL (By pin-point typewriter)
S. Invoice Fr No. Value (Foreign Currency) (FOB/C& F/C&I/CIF	reight Insurance	Currency Code	Exchange Rage	Loading/Local Agency Commission	Miscellaneous Charges	Total Value (In Rupees)	Landing Charges	Assessable Value (in Rupees)	(Declaration to be signed by the Custom Broker)

I.T. C Licence or C.C.P. No. and date/Part and S. No./o Exemption No. and value debited to Licence/C.C.P. (In case of Authority, Name of Person to whom issued,, No. and Date	se of Letter	Debit P. D. A/c. No.	Stamp of collection Free No. and Date	N. BWhere a declaration in this form is made by the Custom Broker a declaration in the prescribed form shall be furnished by the importers of the goods covered by this Bill of Entry.
Licence(s)	Registered	Licence(s) Audited	20	Signature of the Custom Broker

DECLARATION

		(To be signed by an importer)
With	1.	I/We declare that the contents of invoice(s) No.(s)
Custom*		relating to the goods covered by the said invoice(s) and presented herewith are true and correct in every aspect.
Broker		OR
Without		I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods imported against Bill of Lading No dated Are in
Custom*		accordance with the invoice No dated and other documents presented herewith. i/We also declare that the
Broker		contents of the above mentioned invoice(s) and documents are true and correct in every respect.
	2.	I/We declare that I/we have not received and do not know of any other documents or information showing a different price, value (including local payments, whether as commission or otherwise), quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we discover any information showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be.
	3.	I/We declare that goods covered by the bill of entry have been imported on outright purchase/consignment account.
	4(a)*.	I/We declare that there are no conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]

		_
_	7	n
•	•	к

- 4(b)* I/We declare that there are conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods as per details below [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]:
- 5(a)* I/We declare that the price paid or payable by us is NOT subject to settlement with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post import price adjustment)

OR

5(b) * I/We declare the that price paid or payable by the importer will be settled with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment).

[The declaration at serial no. 4a and 4b shall not be required in cases where duty is levied at specific rates or on Tariff Value]

6(a)*. I/We declare that there are no other payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

OR

6(b)* I/We declare that there are the following payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

[^ please refer to Rule 10 (1) (a) & (b) of the Customs Valuation Rules, 2007]

S1.	Particulars	Amount or
		expressed as % of
		the unit price
i	Brokerage and Commissions, except buying commission [Rule 10 (1)	
	(a) (i) of Customs Valuation Rules, 2007]:	
ii	Cost of containers. [Rule 10 (1) (a) (ii)]:	
iii	Packing cost: [Rule 10 (1) (a) (iii)]:	
iv	Cost of goods and services supplied by the buyer [Rule 10 (1) (b)]:	

7(a)*	I/We declare that there are NO payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007] OR
7(b)*	I/We declare that there are payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]. We further declare: (i) that our imports have NOT been examined by any Special Valuation Branch so far or or or customs House (ii) that our imports are under examination by the SVB at Customs House (iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has NOT CHANGED since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at or customs House at Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from refers).
8(a)*	I/We am/are NOT related to the seller of the goods covered under invoice no dated, in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007
	OR

8(b)*	I/We am/are related to the seller of the goods covered under invoice no. of relationship is in terms of Rule 2(2) of the 0 further declare as follows:	dated, and our nature Customs Valuation Rules, 2007. We
	(i) that our imports have not been examined by any Special Valuation Branch so far or	
	(ii) that our imports are under examination by the SVB at Customs is	House
	(iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of File No refers). We further declare that the term pattern of invoicing has not changed since previously examined by the Special Valuat or	ns & conditions of the agreement or
	(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of File No refers). We further declare that the terms & conditions of the invoicing has changed with effect from	
9(a)#	I/We declare the following details related to Preferential rate of duty under a tradin above table. [Please refer to Rule 3(1) of the Customs (Administration of Rules of Origin under Total Customs)	
	Particulars Sr.No.	Details
	(i) Treaty/Free Trade Agreement	
	(ii) Certificate of Origin reference number along with date of issuance (Produce certificate of origin covering each item on which preferential rate of duty is claimed)	

	(iii)	Originating criteria [either (a) Wholly Obtained or (b) not Wholly Obtained]
		If not Wholly Obtained state whether General Rule is applicable or
		Products Specific Rule (PSR)
		Specify the Products Specific Rule (PSR), if applicable
	(iv)	Indicate if accumulation/cumulation is applied (Yes/No)
	(v)	Indicate if the certificate of origin is issued by a third country (Back to Back) -Yes/No
		If Yes, then country of Issuing Authority (Which will be different from Country of Origin)
	(vi)	Transport of Goods: (Directly from country of origin/through another country)
9(b)#	"I, the	on (To be signed by an Importer) undersigned, declare that the goods described in Sr. No of the bill of entry qualify as originating goods for atial rate of duty under the (name of the Rules) notified vide notification No dated"
		Signature of Importer
		Name of the Importer
		Designation
		Stamp
		*Strike out whichever is inapplicable
		# If Preferential Duty on Origin is availed

(FOR CUSTOM HOUSE USE)

	Documents presented with bill of entry	Date of receipt in:
	Check here additional documents required	
1.	Invoice	Appraising group Central Exchange Unit
2.	Packing List	Trade return I.A.D.
3.	Bank Draft	C.R.A.D M.C.D. Key Register
4.	Insurance Memo/Policy	M.C.D Manifest Posting
5.	Bill of Lading	(On duplicate Copy only)
6.	Import Licence/Custom Clearance Permit	Passed out of Customs Charge
7.	Certificate of Origin.	
8.		Proper Officer
9.		
10.		(Actual designation to be indicated)

FORM-II (See regulation 3)

Bill of Entry For Warehousing

Licence No.

	01 231	-	101 1	vai ciiou.	,,,,,,				Lice	1100 11	··														
	L=	Air Land	l	ond S. No. & I	Date	Code Code(IEC/ and Address GSTIN/PAN etc whether Govt. or as applicable) Private]																			
Vesse	l's Nam	e	Rotati	on No. Date		Line Number		ort of or		of Origi d Code		•	Consigni ent) and (Bill of and Da	Lading te									
P	ACKAG	ES	Ç	UANTITY	(GOODS			TOMS JTY				A	DDITIOI DUTY								IGST			
No.	Mark	Ser	Comm	Weight/Vol	Goods	Custo	Nat	Asses	RAT	AMO	C.E.T.	MRP	Amoun	Value for	the	Rate SA	Tota	1 GST	' IGS	Exempti	IGST	GST	Exemptio	GST	Total
and	s and	ial		ume/Numbe	Descripti	ms	ure	sable	E	UNT	Heading	per	t of	purpose o	of	D	Add	itio Cod		_		Compens	n	Compen	Duty
Descri	Num	No.	Unit	r etc.	on	Tariff	of	Value		Basic		unit,	abatem	Section :	3		nal	e		Notifica		ation	Notificati	sation	
ption	bers		Code			headin	dut	under	Basic		Exemptio		1	Customs			Dut	,		tion for		Cess	on for	Cess	
						Q	v	Sectio		Auxili	n			Act, 1975			Dut	'		claimin			claiming	amount	
			Stand		R.I.T.C.		cod	n 14			Notificati			Col.	Wher					g			exemptio		
			ard		No (Give		e	Custo	Auxil	(Rs.)	on No.			9 +	e the					exempti			n from		
			Unit		,	Prefere			iary	,	and year			Col.	provi					on from			GST		
			Code		each	ntial			(Rs.)		,			11	sions					IGST			Compens		
					class	Exemp		1962						Wher	of					_			ation		
					separatel	tion		(Rs.)						e the	sub-								Cess		
					v)	Notific		()						provi	secti										
					,	ation								sions	on										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12A)	(12B)	not apply	(13A)	(14) (15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						year*								does	apply										
						and								1944,	1944										
						No.								Act,	Act,										
						ation								e	e										
						Notific								Excis	Excis										
						tion								al	al										
						Exemp								Centr	Centr										
														4A of	the										
														on	4A of										
						year*#								secti	on										
						No. and								of sub-	(2) of Secti										

Gross Weight TOTAL NUMER OF PACKAGES (IN WORDS)		TOTAL AMOU	NT OF DUTY (IN WORDS)
Import Clerk	RUPEES	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TOTAL
			(By pin-point typewriter)

S. No.	Invoice Value (Foreign Currency) (FOB/C& F/C&I/CIF	Freight	Insurance	Currency Code	Exchange Rage	Loading/Local Agency Commission	Miscellaneous Charges	Total Value (In Rupees)	Landing Charges	Assessable Value (in Rupees)	(Declaration to be signed by the Custom Broker) 1. I/We apply for leave to deposit the goods covered by this Bill of Entry in the warehouse being public/private warehouse appointed/Licensed under the Customs Act, 1962.
1											2. I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods
2											imported against Bill of Lading
3											No Dated are in accordance with the Invoice No dated
4											and other documents presented herewith.

T. C Licence or C.C.P. No. and date/Part and S. No./O.G.L. No. Exemption No. and value debited to Licence/C.C.P. (In case of Letter of Authority, Name of Person to whom issued,, No. and Date	To be warehoused within days from the beginning of the operation of actual removal form docks	Total Bond registered under No of (Date) Supdt. Bond Bond Clerk	3. I/We have not received any other document or information showing a different price, value, quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we receive any documents from the importer showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be. N. BWhere a declaration in this form is made by the Custom Broker a declaration in the prescribed form shall be furnished by the importers of the goods covered by this Bill of Entry.
Licence(s) Registered	Licence(s) Audited	Date of Deposit of Goods in the warehouse	
Assistant Commissioner of Customs, Bond Department		Preventive Officer	20 Signature of the Custom Broker

DECLARATION

		(To be signed by an Importer)
With Custom* Broker	1.	I/We declare that the contents of invoice(s) No.(s)
Without Custom* Broker		I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods imported against Bill of Lading No dated Are in accordance with the invoice No dated and other documents presented herewith. i/We also declare that the contents of the above mentioned invoice(s) and documents are true and correct in every respect.
	2.	I/We declare that I/we have not received and do not know of any other documents or information showing a different price, value (including local payments, whether as commission or otherwise), quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we discover any information showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be.
	3.	I/We declare that goods covered by the bill of entry have been imported on outright purchase/consignment account.
	4(a)*.	I/We declare that there are no conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007] OR
	4(b)*	I/We declare that there are conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods as per details below [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]:
	5(a)*	I/We declare that the price paid or payable by us is NOT subject to settlement with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment) OR
	5(b) *	I/We declare the that price paid or payable by the importer will be settled with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment).
		[The declaration at serial no. 4a and 4b shall not be required in cases where duty is levied at specific rates or on Tariff

Value]

- 6(a)*. I/We declare that there are no other payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^
 OR
- 6(b)* I/We declare that there are the following payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

[^ please refer to Rule 10 (1) (a) & (b) of the Customs Valuation Rules, 2007]

	()() ()		
S1.	Particulars	Amount	or
		expressed as %	of of
		the unit price	
i	Brokerage and Commissions, except buying commission [Rule 10 (1)		
	(a) (i) of Customs Valuation Rules, 2007]:		
ii	Cost of containers. [Rule 10 (1) (a) (ii)]:		
iii	Packing cost: [Rule 10 (1) (a) (iii)]:		
iv	Cost of goods and services supplied by the buyer [Rule 10 (1) (b)]:		

7(a)* I/We declare that there are NO payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]

OR

- 7(b)* I/We declare that there are payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]. We further declare:
 - (i) that our imports have NOT been examined by any Special Valuation Branch so far <u>or</u>
 - (ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House
 - (iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of ______ Customs House. (Our SVB File No._____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern

	of invoicing has NOT CHANGED since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at or
	(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from
8(a)*	I/We am/are NOT related to the seller of the goods covered under invoice no dated, in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007 OR
8(b)*	I/We am/are related to the seller of the goods covered under invoice no dated, and our nature of relationship is in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007. We further declare as follows: (i) that our imports have not been examined by any Special Valuation Branch so far or (ii) that our imports are under examination by the SVB at Customs House (iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has not changed since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at or (iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from
9(a)#	I/We declare the following details related to Preferential rate of duty under a trade agreement for the goods at Sl. Noin above table. [Please refer to Rule 3(1) of the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020]

Sr.No.	Particulars	Details
(i)	Treaty/Free Trade Agreement	
(ii)	Certificate of Origin reference number along with date of issuance	
	(Produce certificate of origin covering each item on which	
	preferential rate of duty is claimed)	
(iii)	Originating criteria [either (a) Wholly Obtained or (b) not Wholly	
	Obtained]	
	If not Wholly Obtained state whether General Rule is applicable or	
	Products Specific Rule (PSR)	
	Specify the Products Specific Rule (PSR), if applicable	
(iv)	Indicate if accumulation/cumulation is applied (Yes/No)	
(v)	Indicate if the certificate of origin is issued by a third country (Back	
	to Back) -Yes/No	
	If Yes, then country of Issuing Authority (Which will be different	
	from Country of Origin)	
(vi)	Transport of Goods: (Directly from country of origin/through	
	another country)	

9(b)#	Declaration (To be signed by an Importer)
` '	"I, the undersigned, declare that the goods described in Sr. No of the bill of entry qualify as originating goods for
	preferential rate of duty under the (<u>name of the Rules</u>) notified vide notification Nodated"
	Signature of Importer
	Name of the Importer
	Designation
	Stamp
	*Strike out whichever is inapplicable
	# If Preferential Duty on Origin is availed

(FOR CUSTOM HOUSE USE)

	Documents presented with bill of entry	•	Date of receipt	t in:	
	Check here additional documents required				
1.	Invoice		Appraising group Central Exchan	nge Unit	
2.	Packing		Trade return I.A.D.		
	List	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
3.	Bank Draft		C.R.A.D M.C.D. Key Register		
4.	Insurance		M.C.D Manifest Posting		
	Memo/Policy.				
5.	Bill of Lading.				
			(On duplicate Copy only)		
6.	Import Licence/Custom	Clearance	Permitted		
	Permit		removal to		
				Seal Details	(OTL
				Details)	
			under		
			Customs		
_			control		
7.	Certificate of Origin		D 0.00		
8.			Proper Officer		
9.					
10.			(Actual		
			designation to		
			be indicated)	.,,	

FORM-III

(See regulation 3)

Bill of Entry For Ex-Bond Clearance

Licence No.

Port Code S = Sea Bond S. No. & Date Import Dept. S. No. and Date							Cus	oms Bro	ker	Im	porter			Impo	rter's N	Vame							
	A= Air							Co	de			de (IEC	/			ddress							
	L	= Land												GS	TIN/PA	N etc							
														as	applica	ble)							
Vesse	's Nam	e	Rotation	No. Date	Line			Port of		Country	of Origin	Coun	ry of C	Consig	gnment	Bil	l of Lac	ling					
					Numbe	er	1	Shipment		and Code	е	(if di	fferent) and (Code	Da	ite						
		PAC	KAGES	QUANTIT	ΓΥ	GOODS		CUS	TOMS			ADDI	ΓΙΟΝΑ	A L					I	GST			
								Di	JTY			Di	JTY										
No.	Marks	Serial	Commer	Weight/Volume/	Descript	Customs	Natu	Assessa	RATE	AMOU	C.E.T.	Value	Rate	SAD	Total	GST	IGST	Exempt	IGST	GST	Exemptio	GST	TOTAL
and	and	No.	cial Unit	Number etc.	ion		re of			NT	Heading	under			Additi	Code	Rate	ion	Amou	Compensa	n	Compen	DUTY
Descri	Numb		Code			heading	duty	Value	Basic			Sectio			onal			Notific	nt	tion Cess	Notificati	sation	Rs.
ption	ers						code	under			Exempti				Duty			ation		Rate	on for	Cess	
						Preferential		Section	-	Auxilia		Custo						for			claiming	Amount	
			Standard		1	Exemption			Auxili		Notificat							claimin			Exemptio		
			Unit		(Give	Notification		Custom	•		ion No.	Tariff						g			n from GST		
			Code		details of each	No. and		s Act, 1962	KS.		and year	Act, 1975						Exempt ion			Compensa		
					class	Exe		Rs.				Rs.						from			tion Cess		
					separate			13.				13.						IGST			tion cess		
					ly)	Notification												1001					
					"	No. and																	
						year*.																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
					•	•	•	•		•	·		- 1			•	•						•

Gross Weight TOTAL NUMER OF PACKAGES (IN WORDS)		TOTAL AMOUNT	T OF DUTY (IN WORDS)
Import Clerk	RUPEES	S	TOTAL
		(By pi	in-point typewriter)

S. No.	Invoice Value (Foreign Currency) (FOB/C& F/C&I/CIF	Freight	Insurance	Currency Code	Exchange Rage	Loading/Local Agency Commission	Miscellaneous Charges	Total Value (In Rupees)	Landing Charges	Assessable Value (in Rupees)	Name and address of the warehouse including warehouse code where the goods are kept in deposit
1											
2											
3											
4											
5										Total	
Ī	Date of depo	sit in ware	house E	ntered in Wa Vide	Page No	 No	ebit P. D. A/c. No		Stamp	of collection	Declaration to be signed by the importer/Custom Broker 1. I/We declare that the particulars given in this Bill of Entry are true.
		1	Date of Pres	sentation to	Warehouse	Officer	Date of Remo	oval of good	ls from the	Warehouse.	2. I/We apply for permission to clear the goods from the Customs Bonded Warehouse subject t the provisions of the Customs Act, 1962.

DECLARATION

		(To be signed by an importer)
With Custom* Broker	1.	I/We declare that the contents of invoice(s) No.(s)
Without Custom* Broker		I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods imported against Bill of Lading No dated Are in accordance with the invoice No dated and other documents presented herewith. i/We also declare that the contents of the above mentioned invoice(s) and documents are true and correct in every respect.
	2.	I/We declare that I/we have not received and do not know of any other documents or information showing a different price, value (including local payments, whether as commission or otherwise), quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we discover any information showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be.
	3.	I/We declare that goods covered by the bill of entry have been imported on outright purchase/consignment account.
	4(a)*.	I/We declare that there are no conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007] OR
	4(b)*	I/We declare that there are conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods as per details below [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]:
	5(a)*	I/We declare that the price paid or payable by us is NOT subject to settlement with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment) OR
	5(b) *	I/We declare the that price paid or payable by the importer will be settled with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment).
		[The declaration at serial no. 4a and 4b shall not be required in cases where duty is levied at specific rates or on Tariff Value]

6(a)*. I/We declare that there are no other payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

OR

6(b)* I/We declare that there are the following payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

[^ please refer to Rule 10 (1) (a) & (b) of the Customs Valuation Rules, 2007]

	7]		
Sl.	Particulars	Amount	or
		expressed as	% of
		the unit price	
i	Brokerage and Commissions, except buying commission [Rule 10 (1)		
	(a) (i) of Customs Valuation Rules, 2007]:		
ii	Cost of containers. [Rule 10 (1) (a) (ii)]:		
iii	Packing cost: [Rule 10 (1) (a) (iii)]:		
iv	Cost of goods and services supplied by the buyer [Rule 10 (1) (b)]:		

7(a)* I/We declare that there are NO payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods/other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]

OR

7(b)* I/We declare that there are payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods/other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]. We further declare:

- (i) that our imports have NOT been examined by any Special Valuation Branch so far <u>or</u>
- (ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House
- (iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of ______ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has NOT CHANGED since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs

	House at or (iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from
8(a)*	I/We am/are NOT related to the seller of the goods covered under invoice no dated, in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007 OR
8(b)*	I/We am/are related to the seller of the goods covered under invoice no dated, and our nature of relationship is in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007. We further declare as follows: (i) that our imports have not been examined by any Special Valuation Branch so far or (ii) that our imports are under examination by the SVB at Customs House (iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has not changed since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at or (iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of Customs House. (Our SVB File No refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from
9(a)#	I/We declare the following details related to Preferential rate of duty under a trade agreement for the goods at Sl. Noin above table. [Please refer to Rule 3(1) of the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020]

Sr.No.	Particulars	Details
(i)	Treaty/Free Trade Agreement	
(ii)	Certificate of Origin reference number along with date of issuance	
	(Produce certificate of origin covering each item on which	
	preferential rate of duty is claimed)	
(iii)	Originating criteria [either (a) Wholly Obtained or (b) not Wholly	
	Obtained]	
	If not Wholly Obtained state whether General Rule is applicable or	
	Products Specific Rule (PSR)	
	Specify the Products Specific Rule (PSR), if applicable	
(iv)	Indicate if accumulation/cumulation is applied (Yes/No)	
(v)	Indicate if the certificate of origin is issued by a third country	
	(Back to Back) -Yes/No	
	If Yes, then country of Issuing Authority (Which will be different	
	from Country of Origin)	
(vi)	Transport of Goods: (Directly from country of origin/through	
	another country)	

9(b)#	Declaration (To be signed by an Importer)
	"I, the undersigned, declare that the goods described in Sr. No of the bill of entry qualify as originating goods for
	preferential rate of duty under the (<u>name of the Rules</u>) notified vide notification No dated"
	Signature of Importer
	Name of the Importer
	Designation
	Stamp
	*Strike out whichever is inapplicable
	# If Preferential Duty on Origin is availed

(FOR CUSTOM HOUSE USE)

	Documents presented with bill of entry	Date of receipt in:
	Check here additional documents required	
1.	Invoice	Bond Department
2.	Packing List	Appraising group
3.	Insurance Memo/Policy	Warehouse Officer Central Exchange Unit
4.	Certificate of Origin	Revenue Posting
5.		Station Date20 Signature of Importer
		Custom Broker
6.		C.R.A.D (On duplicate Copy only)
7.		M.C.D. Key Passed out of Customs Register Charge
		M.C.D. Manifest Posting
		Proper Officer
		(Actual designation to be indicated)

[F. No. 450/108/2017-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note:- The principal regulations were published vide notification number 396-Customs (N.T.) dated the 1st August, 1976, superseded by notification number 03/88-Customs (N.T.) dated 14th January,1988 published in the Gazette of India vide G.S.R. 30 (E) dated the 14th January,1988 and then restored by notification number 77/89 dated 27th December, 1988 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1067(E) dated 27th December, 1989 and were last amended vide notification number 65/2017 – Customs(N.T.), dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 810(E) dated the 30th June, 2017.